एम. जयापॉल से पहले, जे.

राजबीर और अन्य-*याचिकाकर्ताओं*

बनाम

नई 1nd1एश्योरेंसकंपनी लिमिटेड -*उत्तरदाताओं*

सीआरएनओ. 2012 का 2834

सितम्बर 27,2012

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद। 22 7 - मोटर वाहन आईडी अधिनियम, 1988 - निष्पादन - दावेदारों ने एक पुनरीक्षण दायर किया - उनके पक्ष में निर्णय पारित किया गया - चालक और मालिक को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया - बीमा कंपनी को मुआवजा देने और उसके बाद मालिक-सह-चालक से इसकी वसूली करने का निर्देश दिया गया - बीमा कंपनी ने निष्पादन आवेदन दायर किया - दावेदारों/याचिकाकर्ताओं ने बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई पूरी राशि के वितरण की मांग की - निष्पादन न्यायालय ने माना कि बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई राशि तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि बीमाकर्ता सुरक्षा प्रदान नहीं करता है - बीमाधारक सेवा नहीं दे सका - दावेदारों ने संवितरण की मांग करते हुए पुनरीक्षण दायर किया जमा की गई पूरी राशि - अनुमति - रोकी गई, दावेदार सेवा प्रभावी होने और बीमाधारक के सुरक्षा के साथ आने तक अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकते।

*आयोजित,*ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णय पर आते हुए, निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वाहन के मालिक को एक नोटिस जारी किया जाएगा और उसे मुआवजे से पहले पूरी मुआवजा राशि के लिए सुरक्षा प्रस्तुत

करने की आवश्यकता होगी। दावेदारों को राशि जारी की जाती है।

(पैरा 10)

आगे आयोजित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी उस मामले पर लागू होगी जहां निष्पादन न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने वाला बीमाधारक उचित समय के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है और सुरक्षा प्रदान करता है।

(पैरा 11)

आगे आयोजित, जिस घायल-दावेदार को सफलतापूर्वक पुरस्कार मिल गया है, उसे तत्काल चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से तुरंत पुरस्कार राशि की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामले में जहां दावेदार जो पूरी तरह से कमाने वाले पर निर्भर थे, जिन्होंने मोटर दुर्घटना में अपनी पिछली जिंदगी खो दी थी, उन्हें अपने अस्तित्व/अस्तित्व के लिए पुरस्कार राशि की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे दावेदार तब तक अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि सेवा प्रभावी न हो जाए और बीमाधारक बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई राशि के लिए सुरक्षा लेकर न आ जाए।

(पैरा 13)

आगे आयोजित, वर्तमान मामले में, यह प्रदर्शित किया गया है कि दावेदारों को बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई पुरस्कार राशि प्राप्त करने की सख्त आवश्यकता है। मेरी सुविचारित राय में, ऐसे दावेदारों को उनके पक्ष में उचित रूप से दिए गए मुआवजे को प्राप्त करने के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करने का निर्देश देना अन्यायपूर्ण होगा। इसलिए, उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी तत्काल मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगी जहां बीमाधारक नोटिस के साथ-साथ उसके खिलाफ लगभग 1% के लिए जारी जमानती वारंट से बचता है। साल।

(पैरा 14)

आगे आयोजित, उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे लगता है कि दावेदार बीमा कंपनी के खिलाफ पारित पुरस्कार के संदर्भ में बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई मुआवजा राशि के वितरण के हकदार हैं। संपूर्ण राशि के वितरण की याचिका को खारिज करने के संबंध में निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया है।

बीमा कंपनी द्वारा जमा किया गया मुआवजा और निष्पादन न्यायालय को बीमाधारक पर नोटिस/जमानती वारंट की सेवा की प्रतीक्षा किए बिना दावेदारों को मुआवजे की पूरी राशि वितरित करने का निर्देश दिया जाता है।

(पैरा 15)

याचिकाकर्ताओं के वकील संदीप कोटला।

प्रतिवादी की ओर से वकील आरसी कपूर।

एम. जयापॉल, जे. (मौखिक)

(1) दावेदारों ने ट्रिब्यूनल द्वारा उनके पक्ष में पारित फैसले के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई राशि जारी करने की उनकी याचिका की अस्वीकृति से व्यथित होकर वर्तमान नागरिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी है।

(2) वाहन के चालक और मालिक को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, लेकिन बीमा कंपनी को पहले मालिक-सह-चालक द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे का भुगतान करने और उसके बाद मालिक-सह-चालक से इसकी वसूली करने का निर्देश दिया गया था।

(3) बीमा कंपनी ने 26.3.2011 को ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसले के संदर्भ में 3.5.2011 को मालिक-सह-चालक के खिलाफ एक निष्पादन आवेदन दायर किया। यद्यपि दावेदार बीमा कंपनी द्वारा दायर उक्त निष्पादन आवेदन के पक्षकार नहीं थे और यह केवल मालिक-सह-चालक था जो उक्त निष्पादन आवेदन में प्रतिवादी था, ट्रिब्यूनल ने दावेदारों को भी नोटिस जारी करना उचित समझा। दावेदार अपने वकील श्री अशोक काओ, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए और तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पुरस्कार के संदर्भ में बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई पूरी राशि बीमाधारक/ड्राइवर-सह- से किसी भी सुरक्षा पर जोर दिए बिना उन्हें वितरित की जानी चाहिए। मालिक।

(4) निष्पादन न्यायालय ने प्रमोद कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम मुश्तरी बेगम और अन्य (1) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई राशि बीमाधारक/ड्राइवर तक दावेदारों को जारी नहीं की जाएगी - सह-मालिक निष्पादन न्यायालय के समक्ष एक सुरक्षा प्रस्तुत करता है।

---

0) 2005(3) पीएलआर 540

(5) पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का कहना था कि दुर्घटना 9.7.2009 को हुई थी। ट्रिब्यूनल द्वारा 26.3.2011 को निर्णय पारित किया गया था। बीमा कंपनी द्वारा 3.5.2011 को निष्पादन आवेदन दायर किया गया था। आज तक, बीमाधारक को नोटिस के साथ-साथ उसके खिलाफ जारी जमानती वारंट भी नहीं दिया गया। उनका आगे यह कहना है कि ऐसे मामले में जहां बीमाधारक उचित समय के भीतर निष्पादन न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, तो निश्चित रूप से निष्पादन न्यायालय को राशि जारी करने से पहले बीमाधारक से सुरक्षा पर जोर देना होगा। लेकिन इस मामले में, बीमाधारक अपने खिलाफ जारी समन और जमानती वारंट की प्राप्ति से बच रहा है। यह भी पाया गया कि संबंधित पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जमानती वारंटों का भी निष्पादन नहीं किया गया। गरीब दावेदार इस तथ्य के बावजूद पीड़ित हैं कि उनके पक्ष में फैसला आ चुका है, इसलिए उनका कहना है कि निष्पादन न्यायालय का आदेश संशोधित किया जा सकता है।

(6) इसके विपरीत, हाई इंश्योरेंस कंपनी/प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने प्रमोद कुमार अग्रवाल और अन्य बनाम मुश्तरी बेगम और अन्य (2)एफ मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ओरिएंटल में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले का हवाला दिया। इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्री नंजप्पन और अन्य (3), यह प्रस्तुत करेंगे कि बीमा कंपनी द्वारा बीमाधारक से किसी भी सुरक्षा पर जोर दिए बिना जमा की गई मुआवजा राशि जारी करने का सवाल उस मामले में नहीं उठेगा जहां बीमाकर्ता को वसूली का अधिकार मिल गया है बीमाधारक से उसके द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण मुआवजा राशि।

(7) ओरिकंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:-

> "8. इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए हम बलजीत कौर के मामले (सुप्रा) में जो कहा गया है, उसके संदर्भ में निर्देश देते हैं कि बीमाकर्ता ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मुआवजे की मात्रा का भुगतान करेगा, जिसके बारे में कोई विवाद नहीं उठाया गया था। आज से तीन महीने के भीतर उत्तरदाताओं/लक्ष्यकर्ताओं को। बीमाधारक से इसे वसूलने के उद्देश्य से, बीमाकर्ता को मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है

(2) 2005(3) पीएलआर 540
(3) 2004(2) पीएलआर 51

यदि बीमाकर्ता और मालिक के बीच विवाद ट्रिब्यूनल के समक्ष निर्धारण का विषय था और मुद्दे का फैसला मालिक के खिलाफ और बीमाकर्ता के पक्ष में हुआ है। बीमाधारक को राशि जारी करने से पहले, वाहन के मालिक को एक नोटिस जारी किया जाएगा और उसे सुरक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी 4
बीमाकर्ता द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण राशि का भुगतान मैं दावेदारों को करूंगा।
सुरक्षा के अलावा, उल्लंघन करने वाले वाहन को संलग्न किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सहायता लेगा। क्रियान्वयन;
न्यायालय कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा;
जिस तरीके से बीमाधारक, वाहन का मालिक करेगा
बीमाकर्ता को भुगतान करें. यदि कोई चूक होती है तो यह किया जाएगा
निपटान द्वारा वसूली का निर्देश देने के लिए निष्पादन न्यायालय के लिए खुला होना|
प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों से या किसी अन्य संपत्ति से

वाहन के मालिक, बीमाधारक की संपत्ति। अपील जे

उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटान किया जाता है, बिना किसी लागत के।

(8) बाद के फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमोद में

कुमार अग्रवाल (सुप्रा), निम्नानुसार आयोजित किया गया है:-

"11 .इसलिए, थेल-लिगली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए (

हम जो कहा गया है उसके संदर्भ में निर्देशित करते हैं*बलजीत कौर स* //

*मामला (सुप्रा)*कि बीमाकर्ता ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित मुआवजे की मात्रा का भुगतान करेगा, जिसके बारे में कोई विवाद नहीं उठाया गया था, आज से सीधे तौर पर उत्तरदाताओं को इसका लक्ष्य दिया जाएगा। से उसी की वसूली के उद्देश्य से

मालिक, बीमाकर्ता को मुकदमा दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह हो सकता है<

संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करें

यदि बीमाकर्ता और मृत्यु स्वामी के बीच विवाद का विषय था,

न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय का मामला और मामले का फैसला मालिक के खिलाफ और बीमाकर्ता के पक्ष में किया जाता है। पहले

दावेदारों, वाहन मालिक आई.सी. को टीएचसी राशि जारी करना। ।।

अपीलकर्ता सं. 1 पूरी राशि के लिए सुरक्षा प्रस्तुत करेगा

बीमाकर्ता मरने वाले दावेदारों को भुगतान करेगा। उल्लंघन करने वाले वाहन को सुरक्षा के एक भाग के रूप में संलग्न किया जाएगा। यदि आवश्यकता पड़ी तो निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन श्रोता की सहायता लेगा। निष्पादन न्यायालय उस तरीके के अनुसार कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा

वाहन का मालिक यानी अपीलकर्ता नं. 1 बीमाकर्ता को भुगतान करेगा. यदि कोई चूक होती है तो यह निष्पादन न्यायालय के लिए खुला होगा कि वह प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों के निपटान या वाहन के मालिक, बीमाधारक (अपीलकर्ता संख्या 1) की किसी अन्य संपत्ति या संपत्तियों से वसूली का निर्देश दे।

(9) प्रमोद कुमार अग्रवाल (सुप्रा) में मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया कि बीमाधारक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहुत अच्छी तरह से गया था। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बीमाधारक को निष्पादन न्यायालय द्वारा दावेदारों को मुआवजा राशि जारी करने से पहले कुछ सुरक्षा के साथ सामने आना चाहिए।

(10) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वाहन के मालिक को एक नोटिस जारी किया जाएगा और उसे राशि देने से पहले पूरी मुआवजा राशि के लिए सुरक्षा प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। दावेदारों को जारी किया गया।

(11) प्रथम लोक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी उस मामले पर लागू होगी जहां निष्पादन न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का जवाब देने वाला बीमाधारक उचित समय के भीतर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है और सुरक्षा प्रदान करता है।

(12) तत्काल मामले में, यह पाया गया कि दुर्घटना 9.7.2009 को हुई थी। यह पुरस्कार 26.3.2011 को पारित किया गया। बीमा कंपनी द्वारा 3.4.2011 को दायर किए गए निष्पादन आवेदन में, बीमाधारक को नोटिस नहीं दिया जा सका। यहां तक कि बीमाधारक के खिलाफ जमानती वारंट जारी होने से भी अभी तक वांछित परिणाम नहीं मिला है।

(13) जिस घायल-दावेदार को सफलतापूर्वक पुरस्कार मिल गया है, उसे तत्काल चिकित्सा खर्चों को पूरा करने के उद्देश्य से तुरंत पुरस्कार राशि की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे मामले में जहां दावेदार जो पूरी तरह से कमाने वाले पर निर्भर थे, जिन्होंने मोटर दुर्घटना में अपनी पिछली जिंदगी खो दी थी, उन्हें अपने अस्तित्व/अस्तित्व के लिए पुरस्कार राशि की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे दावेदार तब तक अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि सेवा प्रभावी न हो जाए और बीमाधारक बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई राशि के लिए सुरक्षा लेकर न आ जाए।

(14) वर्तमान मामले में, यह प्रदर्शित किया गया है कि दावेदारों को बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई पुरस्कार राशि प्राप्त करने की सख्त आवश्यकता है, मेरी राय में, ऐसा निर्देश देना अन्याय होगा

दावेदारों को मुआवजा प्राप्त करने के लिए अनिश्चित काल/अंत तक इंतजार करना पड़ता है जो उचित रूप से उनके पक्ष में दिया गया था। इसलिए, उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी तत्काल सहजता के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगी, जहां बीमाधारक नोटिस के साथ-साथ लगभग 1 'के लिए उसके खिलाफ जारी जमानती वारंट से बच जाता है। /z वर्ष.

(15) उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे लगता है कि दावेदार बीमा कंपनी के खिलाफ पारित पुरस्कार के संदर्भ में बीमा कंपनी द्वारा जमा की गई मुआवजा राशि के वितरण के हकदार हैं। बीमा कंपनी द्वारा जमा किए गए पूरे मुआवजे के वितरण के लिए याचिका की अस्वीकृति के संबंध में निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया गया है और निष्पादन न्यायालय को निर्देश दिया गया है कि वह बिना इंतजार किए दावेदारों को मुआवजे की पूरी राशि वितरित करे। बीमाधारक को नोटिस/जमानती वारंट की तामील हेतु।

(16) पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जितेश कुमार शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
झज्जर, हरियाणा